अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजकुमारी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 212/2023 (अजमेर)

	श्री अभिषेक शर्मा एड	
30.06.2023	राजकुमारी बनाम राजस्थान सरकार यह अपील श्री अभिषेक शर्मा एडवोकेट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील की प्रति राजकीय अभिभाषक को दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु रिजर्व रखी जाती है।	
05.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं जी0ए0 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 30.06.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थीया ने उक्त आदेश दिनांक 12.04.2023 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नकल प्राप्त करने हेतु निवेदन किया परंतु मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल होने के कारण प्रार्थीया का नकल आवेदन पत्र भी अधीनस्थ नयायालय द्वारा स्वीकार नही किया गया। तत्पश्चात मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल में कुछ ढील होने पश्चात दिनांक 13.06.2023 को प्रार्थीया का नकल आवेदन किया गया तथा दिनांक 20.06.2023 को नकल जारी की गयी। इस प्रकार नकल प्राप्त होते ही प्रार्थीया के द्वारा अविल्मय यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष देरी से प्रस्तुत की जा रही है देरी से प्रस्तुत किये जाने का कारण सद्भाविक है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील देरी से प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथन संतोषजनक नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जावे।	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अज

राजकुमारी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 212/2023 (अजमेर)

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के जो कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे सदभाविक होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। **अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।**

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निरतारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.01.2002 के द्वारा मूल्यवान प्रतिफल अदा कर क्रय की है तथा क्रय की दिनांक से अपीलांट वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज है तथा खातेदारी उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 की आड में हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट/प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल अपील वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करके नोटिस की शीघ्र तामील करवा कर अपना पक्ष करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया तथा सीधे तौर पर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपील चलने योग्य नहीं है मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अपील एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 जा.दी. के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि जो खसरा नम्बर 1193/1613 से 1193/1626 का भाग है जिसके हाल खसरा नम्बर 1112, 1114 लगायत 1117, 1153 लगायत 1156 कायम किये गये जो कि वाकै ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर में स्थिति है को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.01.2002 के द्वारा भूमि के खातेदार गोपी, हींगा, लक्ष्मण, किशन पुत्रान रामाजी से उनके मुख्त्यारआम शंभूसिंह पुत्र बलवंत सिंह से क्रय कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। क्रय की दिनांक से अपीलांट उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है तथा अपीलांट के अतिरिक्त उक्त भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट हल्का पटवारी व

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजकुमारी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 212/2023 (अजमेर)

भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया इसलिए अपीलांट/वादिया को वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं की गई। विवादित आराजी बाबत् हक–हकूक तो बाद वाद में साक्ष्य एव सुनवाई के पश्चात तय होगें। विवादित आराजी के प्रार्थीगण द्वारा खरीद शुदा आराजी है जिसको आगे से आगे बैंचान, रहन व स्थानान्तरण नहीं करने करते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है। प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय , अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2023 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में आदेश पारित किये जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।